रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 404] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 26, 1988/श्रावण 4, 1910

No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 26, 1988/SRAVANA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

12
26/7/88

संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

(दूर संचार बोर्ड)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 812 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (आठवां संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये 1 अगस्त, 1988 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 434 में :—

(क) अनुभाग 1 के उप-अनुभाग 1 की मद (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(ग) "लाउड स्पीकिंग टेलीफोन के लिए, 100 रु.

(घ) निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं के लिए —

(i) अतिरिक्त घंटी 150 रु.

(ii) रिलीज सहित उपघंटी 200 रु.

(iii) (1) टेलीफोन यंत्र को समाप्त करने के लिए एक प्लग को मिलाकर प्लग और साकेट की व्यवस्था तथा दो साकेट के लिए, 300 रु.

(2) प्रत्येक अतिरिक्त साकेट के लिए, 100 रु.

(iv) लम्बे रज्जु के लिए,

(1) 5 मीटर की लम्बाई तक 100 रु.

(2) प्रत्येक अतिरिक्त 5 मीटर की लम्बाई के लिए 50 रु.

मद (घ) में विनिर्दिष्ट संस्थापन प्रभार के अन्तर्गत सामान्य टूट फूट भी आते हैं। तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् इन सुविधाओं का प्रतिस्थापन ऊपर उपदर्शित दरों पर फिर से प्रभार्य होगा।";

(ख) अनुभाग III के उप-अनुभाग 2 में, मद (क) और मद (ख) तथा उसके अधीन परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(क) ऐसे टेलीफोन कनेक्शन के लिए, जिनकी वास्तविक लम्बाई स्थानीय क्षेत्र से परे क्षेत्र में 5 किलोमीटर

अधिक नहीं है वहां किराया लिया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत कनेक्शनों के लिए लिया जाता है, और इसके अतिरिक्त 600 रु. प्रति वर्ष या कनेक्शन की स्थानीय क्षेत्र से बाहर की वास्तविक लम्बाई के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके भाग के लिए प्रति दो मास में 100/- रुपए लिए जाएंगे।

(ख) ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए जिनकी वास्तविक लम्बाई स्थानीय क्षेत्र से परे क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक है किन्तु 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है, वहां किराया लिया जाएगा जो स्थानीय क्षेत्र से परे पांच किलोमीटर की वास्तविक लम्बाई के भीतर कनेक्शन के लिए उपरोक्त मद (क) के अनुसार है धन 800 रुपए प्रति वर्ष या जो स्थानीय क्षेत्र से परे पांच किलोमीटर से अधिक वास्तविक लम्बाई के लिए प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उसके भाग के लिए प्रति दो मास के लिए 134 रुपए वसूल किया जाएगा।";

(खख) ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों के लिए, जिनकी वास्तविक लम्बाई स्थानीय क्षेत्र से परे 10 किलोमीटर से अधिक है, वहां स्थानीय क्षेत्र से परे क्षेत्र में 10 किलोमीटर की वास्तविक लम्बाई के कनेक्शनों के लिए लिया जाने वाला किराया उपरोक्त मद (ख) के अनुसार तथा प्रति किलोमीटर 1500 रु. प्रति वर्ष होगा या स्थानीय क्षेत्र से परे 10 किलोमीटर से अधिक वास्तविक लम्बाई के प्रति अतिरिक्त किलोमीटर या उसके भाग के लिए प्रत्येक दो मास के लिए 250 रु. होगा;

परन्तु उपरोक्त मद (खख) के अधीन टेलीफोन कनेक्शन के लिए किराया की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित होगी और सेवा के उपबंध से पहले ग्राहक से वसूल कर ली जायेगी;

(ग) खंड V में,—

(1) उप-अनुभाग 1 की मद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(ग) बाहरी एक्सटेंशन—	वार्षिक किराया
(i) मुख्य कनेक्शन से जिसकी प्रभार्य दूरी एक किलोमीटर से अधिक न हो।	1400 रु.
(ii) मुख्य कनेक्शन से, जिसकी प्रभार्य दूरी एक किलोमीटर से अधिक किन्तु पांच किलोमीटर से अधिक नहीं हो।	किराया पहले किलोमीटर के लिए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कुछ कम दूरी के लिए प्रतिवर्ष 800 रु.
(iii) मुख्य कनेक्शन से, जिसकी प्रभार्य दूरी पांच किलोमीटर से अधिक हो।	किराया पहले पांच किलोमीटर के लिए उपरोक्त उप-मद (ii) के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए प्रतिवर्ष 1500 रु.

परन्तु उपरोक्त उपमद (iii) के अधीन बाहरी टेलीफोन कनेक्शन के लिए किराया की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित होगी और सेवा के उपबंध से पहले ग्राहक से वसूल कर ली जाएगी।";

(2) उप-अनुभाग 2 का लोप किया जाएगा।

(घ) अनुभाग VI के उप-अनुभाग 1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-अनुभाग रखा जाएगा, अर्थात्:—

"2. सुविधाओं के ब्यौरे :—	वार्षिक किराया
(क) पूरा टेलीफोन सेट	150 रु.
(ख) मिनका चलने वाला	150 रु.
(ग) ध्वनि विस्तारक टेलीफोन	800 रु.

(ङ) खंड VIII में—

(1) उपखंड 1 में,—

"गत 1200 लाइन से अधिक के वर्तमान प्रकार के निजी शाखा टेलीफोन केन्द्र और निजी स्वचल शाखा टेलीफोन केन्द्र।" से संबंधित पैरा 1 में से—

"टेलीफोन केन्द्र के संस्थापन में उपगत पूंजी लागत के आधार पर संगणित विशेष दरों पर इनमें से जो भी अधिक हो" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(2) उप-अनुभाग 2 में—निजी टेलीफोन केन्द्रों (हस्तचल और स्वचल) और निजी शाखा टेलीफोन केन्द्रों (हस्तचल और स्वचल) से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए किराया से संबंधित मदें (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(ख) बाहरी कनेक्शन	वार्षिक किराया
(i) निजी और निजी शाखा टेलीफोन केन्द्र से जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक न हो।	1400 रु.
(ii) निजी और निजी शाखा टेलीफोन केन्द्र से जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो किन्तु 5 किलोमीटर से अधिक न हो।	किराया पहले किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कुछ कम दूरी के लिए 800 रु. प्रतिवर्ष।
(iii) निजी और निजी शाखा टेलीफोन केन्द्र से जिसकी प्रभार्य दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो।	उपरोक्त उपमद (ii) के अनुसार किराया पहले पांच किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 1500 रु.

परन्तु उपरोक्त उप-मद (iii) के अन्तर्गत आने वाले बाहरी कनेक्शन की दशा में किराया कर देने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित की जाएगी तथा सेवा उपलब्ध से पहले ग्राहक से वसूल कर ली जाएगी।";

(घ) खंड IX में,—

(3) उप खंड 1 में, मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(ख) बाहरी निजी तार (रिले सेट के साथ या वार्षिक किराया रिले सेट के बिना)

(i) जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक न हो।	1400 रु.
(ii) जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो किन्तु 5 किलोमीटर से अधिक न हो।	पहले किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कुछ कम दूरी के लिए प्रतिवर्ष 800 रु.
(iii) जिसकी प्रभार्य दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो।	उपरोक्त उपमद (ii) के अनुसार किराया पहले पांच किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिये 1500 रु." ।

परन्तु उपरोक्त उप मद (iii) के अन्तर्गत आने वाले निजी तारों की दशा में किराया पर देने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित की जाएगी तथा सेवा के उपबन्ध से पहले क्रेता से वसूल कर ली जाएगी।";

(2) उप-खंड 2 का लोप किया जाएगा;

(3) उप-खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. बाहरी निजी तारों की प्रभार्य दूरी जोड़े जाने वाले दो बिन्दुओं के बीच की अरीय दूरी का 1.25 गुना होगी।";

(ङ) खंड X में,—

(1) उप-खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1. (क) जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक न हो।	वार्षिक किराया 1400 रुपए
(ख) जिसकी प्रभार्य दूरी 1 किलोमीटर से अधिक हो किन्तु 5 किलोमीटर से अधिक न हो।	पहले किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कुछ कम दूरी के लिए प्रतिवर्ष 800 रु.
(ग) जिसकी प्रभार्य दूरी 5 किलोमीटर से अधिक हो।	उपरोक्त उपमद (ख) के अनुसार किराया पहले पांच किलोमीटर के अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए 1500 रुपये।"

परन्तु उपरोक्त मद (ग) के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र इतर लाइन की दशा में किराया पर देने की दशा में न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित की जाएगी तथा सेवा के उपबन्ध से पहले क्रेता से वसूल कर ली जाएगी।

(2) उप खंड 2 और 3 का लोप किया जाएगा,

(च) अनुभाग XII में, "दूरस्थ सार्वजनिक काल कार्यालयों से एक्सटेंशन" शीर्षक के अधीन विद्यमान पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

	वार्षिक किराया
"(क) जिसकी सार्वजनिक काल कार्यालय से वास्तविक लम्बाई एक किलोमीटर से अधिक न हो।	300 रुपए
(ख) जिसकी सार्वजनिक काल कार्यालय से वास्तविक लम्बाई एक किलोमीटर से अधिक हो किन्तु 5 किलोमीटर से अधिक न हो।	प्रभार एक किलोमीटर अनुसार तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए या उससे कुछ कम दूरी के लिए 350 रु. प्रतिवर्ष।
(ग) जिसकी सार्वजनिक काल कार्यालय से वास्तविक लम्बाई पांच किलोमीटर से अधिक हो।	उपरोक्त मद (ख) के अनुसार पहले पांच किलोमीटर प्रभार के लिए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए या उससे कम दूरी के लिए 1500 रु. प्रतिवर्ष।

परन्तु उपरोक्त मद (ग) के अन्तर्गत आने वाले दूरस्थ सार्वजनिक काल कार्यालय से विस्तार की दशा में किराया पर देने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित की जाएगी तथा सेवा के उपबन्ध से पहले क्रेता से वसूल कर ली जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 493 के उप-नियम (1) में पहले परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु और कि तार सर्किट के प्रत्येक अंत में उपबंधित स्थानीय तार को अनुभाग IX के अधीन या यथास्थिति नियम 434 के अनुभाग X के अधीन निजी तार या केन्द्र इतर लाइन (के रूप में) माना जाएगा।"

4. उक्त नियमों के नियम 493-क में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उपरोक्त उक्त काल टी/पी सर्किट के प्रत्येक छोर पर उपबंधित स्थानीय तार को अनुभाग IX के अधीन या यथास्थिति नियम 434 के अनुभाग X के अधीन निजी तार या केन्द्र इतर लाइन (के रूप में) माना जाएगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 496 के उप नियम (1) के खंड (क) में,—

(क) विद्यमान परन्तुक से पहले निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु नियम 494 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी टेलीफोन सर्किट के प्रत्येक छोर पर उपबंधित स्थानीय लीड को अनुभाग IX के अधीन या यथास्थिति नियम 434 के अनुभाग X के अधीन निजी तार या केन्द्र इतर लाइन (के रूप में) माना जाएगा।";

(ख) विद्यमान परन्तुक में परन्तु यह कि "शब्दों के स्थान पर" परन्तु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 519 में "क. किराया" शीर्षक के नीचे,—

(क) मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

(iii) टेलीप्रिंटर टेलीफोन केन्द्र के 5 किलोमीटर (स्थानीय क्षेत्र) के त्रिज्या से परे पांच किलोमीटर से अनधिक के कनेक्शन की वास्तविक लम्बाई के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए। — 450 रुपए प्रति-वर्ष

(ख) टेलीप्रिंटर टेलीफोन केन्द्र के 5 किलोमीटर (स्थानीय क्षेत्र) के त्रिज्या के परे पांच किलोमीटर से अधिक के कनेक्शन की वास्तविक लम्बाई के प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर या उससे कम दूरी के लिए। — 1500 रुपए प्रति वर्ष

परन्तु यह कि जहां कोई टेलक्स लाइन पूरा या भागत: किसी वायस-फ्रिक्वेंसी टेलीग्राफ चैनल द्वारा साधित हो, वहां इस मद के अधीन प्रभार्य ऐसी पूरी लाइन को या उसके भाग को टेलीग्राफ सर्किट माना जाएगा और ऐसी लाइन के लिए किराया नियम 493 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि इस मद के अधीन किराया की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होगी और सेवा के लिए प्रतिभूति नियम 445 के अधीन विनियमित की जाएगी और सेवा का उपबंध किए जाने से पहले क्रेता से वसूल कर ली जाएगी।";

(ख) मद (xiv) के नीचे के परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ग) इस प्रकार लोप किए गए परन्तुक के पश्चात् आने वाले टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

टिप्पण 1 : किराये की न्यूनतम अवधि, मद (iii) द्वारा शासित दशा को छोड़कर, एक वर्ष की होगी।"

[फा.सं. 4-31/86-आर/पार्ट]

एम. आर. कुरांगे, पदेन अवर सचिव, और सदस्य (दूर संचार बोर्ड)

टिप्पणी :—मूल नियम, 1-9-1984 तक यथासंशोधित, डाक-तार विभाग की नियम पुस्तिका-खण्ड-1, विभागी अधिनियम, भाग 2, छठा संस्करण में प्रकाशित किए गए हैं और तत्पश्चात् इनके निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—

1. सा.का.नि. 653 (अ) तारीख 27-3-1986
2. सा.का.नि. 1237 (अ) तारीख 28-11-1986
3. सा.का.नि. 377 (अ) तारीख 8-4-1987
4. सा.का.नि. 837 (अ) तारीख 5-10-1987
5. सा.का.नि. 989 (अ) तारीख 17-12-1987
6. सा.का.नि. 337 (अ) तारीख 11-3-1988
7. सा.का.नि. 361 (अ) तारीख 21-3-1988
8. सा.का.नि. 626 (अ) तारीख 17-5-1988
9. सा.का.नि. 734 (अ) तारीख 24-6-1988

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(TELECOM BOARD)

New Delhi, the 26th July, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 812(E) :—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Eight Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the 1st day of August, 1988.

2. In rule 434 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules):—

(a) in Section-I, in sub-section 1, for items (c) (d) and (e), the following items shall be substituted, namely :—

	Rs.
"(c) for loudspeaking Telephones	100
(d) for the following additional facilities	
(i) extra bell	150
(ii) extension bell with switch	200
(iii) (1) for a plug and socket arrangement comprising of one plug for terminating the telephone instruments and two sockets.	300
(2) for each additional socket	100
(iv) for long cord	
(1) upto 5 metres in length	100
(2) for every additional 5 metres length	50

The installation charges specified in item (d) shall cover normal wear and tear. Replacement of these facilities after the expiry of 3 years, shall be chargeable afresh at the rates indicated above.";

(b) in Section III, in sub-section 2 for items (a) and (b) and the proviso thereunder, the following items shall be substituted, namely :—

"(a) for telephone connections not exceeding five kilometres of actual length beyond the local area, the rental shall be levied as for connections within the local area plus Rs. 600 per annum or Rs.100 for every two months for each additional kilometre or fraction thereof of the actual lenght of the connection beyond the local area.

b) for telephone connections exceeding five kilometres but not exceeding ten kilometres of actual length beyond the local area, the rental shall be levied as for connections within five kilimetres of actual length beyond the local area in accordance with item (a) above plus Rs.800 per annum or Rs.134 for every two months for each additional

kilometre or fraction thereof of the actual length exceeding five kilometres beyond the local area.";

(bb) for telephone connections exceeding ten kilometres of actual length beyond the local area, the rental shall be levied as for connections within ten kilometres of actual length beyond the local area in accordance with item (b) above plus Rs. 1500 per annum per kilometre or Rs. 250/- for every two months for each additional kilometre or fraction thereof, of the actual length exceeding ten kilometres beyond the local area.

Provided that for a telephone connection under item (bb) above, the minimum period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service;

(c) in Section V,—

(1) in sub-section 1, for item (c), the following item shall be substituted, namely:—

"(c) External extension :—	Annual rental
(i) Not exceeding one kilometre chargeable distance from the main connection.	Rs. 1400/-.
(ii) Exceeding one kilometre but not exceeding five kilometres of chargeable distance from the main connection.	Rental as for first kilometre plus Rs. 800 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.
(iii) Exceeding five kilometres of chargeable distance from the main connection.	Rental as for first five kilometres in accordance with sub item (ii) above plus Rs. 1500 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.

Provided that for an external extension under sub item (iii) above, the minimum period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service.";

(2) sub section 2 shall be omitted;

(d) in Section VI, for sub-section 1, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"1. Particulars of the facility:—	Annual Rental Rs.
(a) A complete telephone set	150
(b) Coin collecting Box	150
(c) Loud speaking telephone.	300".

(e) in Section VIII, —

(1) in sub section 1, in item (cc) relating to "Extendable Type PBXs and PABXs of more than 1200 lines", in paragraph (i), the words " or at the special rates calculated on the basis of capital cost incurred in installing the exchange, whichever is higher", shall be omitted ;

(2) in sub-section 2, relating to "RENTAL FOR TELEPHONE CONNECTIONS FROM PRIVATE EXCHANGES (MANUAL AND AUTOMATIC) AND PRIVATE BRANCH EXCHANGES (MANUAL AND AUTOMATIC)", for items (b) and (c), the following items shall be substituted, namely :—

"(b) External connections : —	Annual rental
(i) Not exceeding one kilometre chargeable distance from the private and private branch exchanges.	Rs.1400
(ii) Exceeding one kilometre but not exceeding 5 kilometres of chargeable distance from the private and private branch exchanges	Rental as for the first kilo metre plus Rs. 800 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.
(iii) Exceeding five kilometres of chargeable distance from the private and private branch exchanges.	Rental as for first 5 kilometres in accordance with sub-item (ii) above, plus Rs. 1500 per annum for each additional kilometre or fraction thereof".

Provided that in the case of external connection covered under sub-item (iii) above, the minimum period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service." ;

(f) in section IX, .

(1) in sub-section 1, for item (b) the following item shall be substituted, namely :—

"(b) External private wires (with or without relay set) :—	Annual rental
(i) Not exceeding one kilometre chargeable distance	Rs. 1400
(ii) Exceeding one kilometre but not exceeding 5 kilometres of chargeable distance.	Charges as for the first kilometre Plus Rs.800 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.
(iii) Exceeding five kilometres of chargeable distance.	Charges as for first five kilometres in accordance with sub-item (ii) above, plus Rs.1500 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.

Provided that in the case of private wires covered under sub item (iii) above, the minmunim period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service, ";

(2) Sub-section 2 shall be omitted;

(3) for sub-section 3, the following sub-section shall be substituted, namely :—

"3. The chargeable distance of external private wires shall be 1.25 times of the radial distance between the two points to be connected. ";

(g) in Section X,—

(1) for sub-section 1, the following sub-section shall be substituted, namely :—

	Annual rental.
"1. (a) Not exceeding one kilometre chargeable distance.	Rs.1400
(b) Exceeding one kilometre but not exceeding five kilometres of chargeable distance.	Charges as for the first kilometre plus Rs.800 per annum for each additional kilometre or fraction thereof.
(c) Exceeding five kilometres of chargeable distance.	Charges as for first five kilometres in accordance with item (b) above, plus Rs.1500/-per annum for each additional kilometre or fraction thereof.

Provided that in the case of non-exchange lines covered under item (c) above, the minimum period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service." ;

(2) Sub-section 2 and 3 shall be omitted ;

(h) in Section-XII, under the heading "EXTENSIONS FROM LONG DISTANCE PUBLIC CALL OFFICES", for the existing paragraph, the following shall be substituted, namely :—

	Annual rental
"(a) Not exceeding one kilometre of actual length from the Public Call Office.	Rs.300
(b) Exceeding one kilometre of actual length but not exceeding 5 kilometres of actual length from Public Call Office.	Charges as for the first kilometre plus Rs.250/-per annum for each additional kilometre or fraction thereof
(c) Exceeding five kilometres of actual length from Public Call Office.	Charges as for first five kilometres in accordance with item (b) above, plus Rs.1500per annum for each additional kilometre or part thereof.

Provided that in the case of extensions from long distance Public Call Offices covered under item (a) above, the minimum period of hire shall be 3 years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service".

3. In rule 493 of the said rules, in sub-rule (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the local lead provided at each end of the telegraph circuit shall be treated as a private wire or a non-exchange line under Section IX or, as the case may be, Section X of rule 434.".

4. In rule 493 A of the said rules, the following proviso shall inserted at the end, namely :—

"Provided that the local lead provided at each end of the aforesaid High Speed Teleprinter Circuit shall be treated as a private wire or a non-exchange line under Section IX or, as the case may be Section X of rule 434".

5. In rule 495 of the said rules, in clause (a) of sub-rule (1), —

(a) before the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that subject to the provisions of rule 494 the local lead provided at each and of a telephone circuit, shall be treated as a private wire or non-exchange line under Section IX or, as the case may be, Section X of rule 434.

(b) in the existing proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted.

6. In rule 519 of the said rules, under the heading "A RENTAL",—

(a) for item (iii) the following item shall be substituted, namely :—

"(iii)(a) for each additional kilometre or part of a kilometre of the actual length of the connection but not exceeding five kilometres beyond the radius of five kilometres (Local area) of the teleprinter Exchange.....Rs. 450/-per annum.

(b) for each additional kilometre or part of a kilometre of the actual length of the connection exceeding five kilometres beyond the radius of five kilometres (Local area) of the teleprinter exchange.....Rs. 1500/-per annum.

Provided that where a part or whole of the telex line is subserved by a Voice Frequency Telegraph Channel, such part or whole of the line chargeable under this item shall be treated as a telegraph circuit and rental for such line shall be charged in accordance with the rates specified in sub-rule (1) of rule 493 ;

Provided further that the minimum period of hire under this item shall be there years and the security for the service shall be regulated under rule 445 and obtained from the subscriber before the provision of the service." ;

(b) the proviso occurring below item (xiv) shall be omitted ;

(c) for Note 1 occurring after the proviso as so omitted, the following Note shall be substituted, namely :—

"Note 1. The minimum period of hire shall be one year except in the case governed by item (iii)".

[F.N.O.4-31/86-R/Pt.]

N.R. HIREGANGE,
Ex-Officio Add. Secy. and Member(Telecommunication Board)

Note :— The principal rules, as amended upto 1-9-1984 have been published in the P & T Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-II, Sixth Edition, these have subsequently been amended as under :—

1. G.S.R. 553(E)-dated 27-3-1986.
2. G.S.R. 1237 (E) dated 28-11-1986.
3. G.S.R. 377 (E) dated 9-4-1987.
4. G.S.R. 837 (E) dated 5-10-1987.
5. G.S.R. 989 (E) dated 17-12-1987.
6. G.S.R. 337 (E) dated 11-3-1988.
7. G.S.R. 361 (E) dated 21-3-1988.
8. G.S.R. 625 (E) dated 17-5-1988.
9. G.S.R. 734 (E) dated 24-6-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988